भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 414

गुरूवार, 06 फरवरी, 2025 / 17 माघ, 1946 (शक)

ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से कवरेज हेतु लक्ष्य

414. श्री नीरज डांगीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से संगठित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य कब तक प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध दुर्घटना कवरेज की राशि को बढ़ाने का विचार रखती है; और

(ग) क्या यह सच है कि ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से आधार सत्यापन प्रणाली में तकनीकी खामियों के कारण श्रमिकों को कई बार कल्याणकारी लाभों से वंचित होना पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): आधार के साथ जुड़ा असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया गया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है।

दिनांक 30 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, 30.59 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संरचित रूपरेखा के तहत लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

फिलहाल, ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों के लिए आकस्मिक कवरेज अवधि या राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इसके अतिरिक्त, ईश्रम पोर्टल पर आधार सत्यापन प्रणाली कुशलता से काम कर रही है जिसमें पंजीकरण या प्रमाणीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोई तकनीकी खराबी नहीं है। इस मजबूत प्रणाली के माध्यम से कल्याणकारी लाभों तक निर्बाध पहुच सुनिश्चित होती है जिससे असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

*****